

मूल जाद में अन्तिम डिक्री  
वमुकद में ईव्त्दाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

न्यायालय अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

कारण संख्या :- 153/2022

पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए. व 136 एलआर एक्ट



प्रकाश सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति कुम्हार सा. भाखरावाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

- वादी

**बनाम**

1. मुख्त्यार कौर पत्नी मोहन सिंह जाति कुम्हार सा. भाखरावाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. गुरदास सिंह पि. मोहन सिंह जाति कुम्हार सा. भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. मेजर सिंह पि. मोहन सिंह जाति कुम्हार सा. भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
4. दर्शन सिंह पुत्र तारा सिंह जाति कुम्हार सा. भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
5. सुखपाल कौर पत्नी कौर सिंह जाति कुम्हार सा. भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
6. सुभाष चन्द्र पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट सा. संगरिया तह. संगरिया।
7. साहब सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख सा. चक 5 एन.टी.डब्ल्यू संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
8. हरपाल सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख सा. चक 5 एन.टी.डब्ल्यू संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
9. गेजो पुत्री भाग सिंह जाति जटसिख सा. चक 5 एन.टी.डब्ल्यू संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
10. ज्ञान कौर पत्नी भाग सिंह जाति जटसिख सा. चक 5 एन.टी.डब्ल्यू संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

11. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

- प्रतिवादीगण

दिनांक :- 05-03-2024

अहमद राजस्व मुकद्मा आज मुझ राकेश कुमार मीना आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कलक्टर संगरिया हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एट तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

चक 3 आरटीपी द्वितीय के खाता सं. 165/34 में कुल रकबा 2.024 है. में मौके पर कब्जा काश्त की भूमि:-

1. सुनील कुमार पुत्र मांगेराम जाति भगवाल सा. संगरिया प.नं. 188/195 मु.नं. 81 कि.न. 2/1/0.228 है बरानी, 2/2/0.025 है मु. रास्ता कुल 0.253 है बरानी प्रथम मय गै मु
2. सुखपाल कौर पत्नी कौर सिंह जाति कुम्हार सा. भाखरावाली प.नं. 188/194 मु.नं. 74 कि.नं. 20/1/0.228 है. बरानी 20/2/0.025 है. गै मु रास्ता 21/1/0.228 है बरानी 21/2/0.025 है. गै.मु रास्ता कुल रकबा 0.506 है बरानी प्रथम मय गै मु
3. सुखपाल कौर पत्नी कौर सिंह 0.1304 हि जाति कुम्हार सा. भाखरावाली, सुभाषचन्द्र पुत्र पृथ्वीराज 0.1226 हि. जाति जाट सा. संगरिया प.नं. 187/195 मु.नं. 80 कि.नं. 5/1/0.

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी



203 है. बारानी 5/2/0.025 गै.मु. रास्ता 5/3/0.025 गै.मु. रास्ता कुल 0.253 है. बारानी प्रथम मय गै.मु.

दर्शन सिंह पुत्र तारा सिंह 1/2 हि. गुरदास सिंह, प्रकाश सिंह, मेजर सिंह पि. मोहन सिंह, मुखत्यार कौर पत्नी मोहन सिंह बहिय 1/2 हि. जाति कुम्हार सा. भाखरावाली प.नं. 187/195 मु.नं. 80 कि.नं. 6/1/0.228 है. बारानी, 6/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता प.नं. 188/195 मु.नं. 81 कि.नं. 1/1/0.228 है. बारानी 1/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता 9.10/0.253 है. प्र. बारानी कुल 1.012 है. बारानी प्रथम मय गै.मु.

एवं उप खण्ड  
तहसील  
जाने  
/02  
मा  
जि

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक:-पीडी/भू.अ. 04 दिनांक 20.02.2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज  मुब्लिक  बाबत  खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक  को अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 05-03-2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



(राकेश कुमार मीना)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,  
संगरिया